कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 158/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 26.04.2026

प्रेस नोट, पुलिस लाइन आजमगढ़
दिनांक– 26.04.2026

• 594 महिला रिक्रूट आरक्षियों की दीक्षान्त परेड सम्पन्न, सेवा की शपथ दिलायी गयी
• डीआईजी आजमगढ़ द्वारा परेड की सलामी व 20 टोलियों का निरीक्षण, उत्कृष्ट प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया गया
• 09 माह के कठोर प्रशिक्षण के उपरांत महिला आरक्षी बनीं उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा

आजमगढ़। पुलिस लाइन आजमगढ़ में 594 महिला रिक्रूट आरक्षियों का भव्य दीक्षान्त परेड समारोह सम्पन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि डीआईजी आजमगढ़ श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा परेड की सलामी ली गयी तथा 20 टोलियों का निरीक्षण किया गया। इन महिला रिक्रूट आरक्षियों का 09 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिनांक 21.07.2025 से पुलिस लाइन आजमगढ़ में संचालित हो रहा था, जिसमें **जनपद आजमगढ़ से 235, गाजीपुर से 204, मऊ से 104 एवं भदोही से 51 महिला रिक्रूट आरक्षी सम्मिलित** रहीं। प्रशिक्षण के दौरान अंतः कक्षीय 08 विषयों एवं बाह्य कक्षीय 10 विषयों में गहन एवं अनुशासित प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

आज दिनांक 26.04.2026 को ***वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार*** के निर्देशन में आयोजित इस दीक्षान्त परेड समारोह में ***मुख्य अतिथि डीआईजी आजमगढ़ श्री सुनील कुमार सिंह*** द्वारा परेड की सलामी ली गयी तथा **परेड में सम्मिलित 594 महिला रिक्रूट आरक्षियों को उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों का बोध कराते हुए सेवा की शपथ दिलाई गयी।** डीआईजी आजमगढ़ द्वारा महिला रिक्रूट आरक्षियों को सामाजिक बुराइयों से दूर रहने, सदैव अनुशासित रहने तथा जीवन पथ पर निरंतर अग्रसर रहने हेतु शुभकामनाएं दी गयीं। अंतः एवं बाह्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर *16 एवं 03 परेड कमाण्डर सहित कुल 19 महिला रिक्रूट आरक्षियों* को प्रशस्ति पत्र/पुरस्कार प्रदान किए गए।

दीक्षान्त परेड समारोह में परेड कमाण्डर एवं पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला रिक्रूट आरक्षियों का विवरण निम्नवत है-

1- *प्रथम परेड कमाण्डर* – गीतांजली शर्मा, *द्वितीय परेड कमाण्डर* – नमिता यादव, *तृतीय परेड कमाण्डर* – प्राची यादव
2- सर्वांग सर्वोत्तम (अन्तः व बाह्य कक्षीय) – मान्या मौर्या (टोली संख्या 14)
3- समस्त अन्तः कक्षीय सर्वोत्तम – मान्या मौर्या (टोली संख्या 14)
4- बाह्य कक्षीय सर्वोत्तम – पूजा अस्थाना (टोली संख्या 05)
5- प्रथम समूह (पुलिस का इतिहास, पुलिस संगठन) संजना राय (टोली 05)
6- द्वितीय समूह (पुलिस विज्ञान प्रथम) रुपम सिंह (टोली 04)
7- तृतीय समूह (पुलिस विज्ञान द्वितीय) मान्या मौर्या (टोली 14)
8- चतुर्थ समूह (भारतीय संविधान) सुषमा वर्मा (टोली 19)
9- पंचम समूह (भारतीय न्याय संहिता- 2023/भारतीय साक्ष्य अधि0-2023) पूजा गुप्ता (टोली 9)
10- षष्टम समूह (विविध अधिनियम) मान्या मौर्या (टोली 14)
11- सप्तम समूह (कम्प्यूटर साइन्स एवं साइबर क्राइम) मान्या मौर्या (टोली 14)
12- अष्टम समूह (विधि विज्ञान) ज्योती देवी (टोली 16)
13- प्रथम समूह (शारीरिक प्रशिक्षण) शालिनी सिंह (टोली 20)
14- द्वितीय समूह (पदाति प्रशिक्षण) खुशबु सिंह (टोली 16)

15- तृतीय समूह (शस्त्र प्रशिक्षण) पूजा अस्थाना (टोली 05)
16- चतुर्थ समूह (जंगल प्रशिक्षण, फिल्ड-क्राफ्ट एवं टैक्टिक्स) दीपिका देवी (टोली 15)
17- पंचम समूह (भीड़ नियन्त्रण) नेहा पटेल (टोली 11)
18- षष्टम समूह (अनआर्म्ड काम्बैट- यू0ए0सी0) अनीता देवी (टोली 07)
19- सप्तम समूह (योगासन) मधू मिश्रा (टोली 19)
20- अष्टम समूह (यातायात नियंत्रण) आरती मिश्रा (टोली 18)
21- नवम् समूह (आतंकवाद एवं डकैती निरोधक प्रशिक्षण) निधि मिश्रा (टोली 01)
22- दशम समूह (विशिष्ट तलाशी अभियान) मंशा यादव (टोली 12)

प्रशिक्षक पुरस्कार-
01- अन्तः विषय में उत्कृष्ठ पेडागाजी अध्यापक श्री राजेन्द्र कुमार
02- अन्तः विषय में उत्कृष्ठ आई0टी0आई0 प्रशिक्षक- श्री प्रकाश कुमार
03- वाह्य विषय में उत्कृष्ठ पी0टी0आई0 प्रशिक्षक- श्री संजय कुमार

दीक्षान्त परेड समारोह में उद्घोषणा हेतु पुलिस उपाधिक्षक शशिमौली पाण्डेय एवं अभय तिवारी को सम्मानित किया गया।

समारोह का आयोजन अनुशासन, गरिमा एवं उत्साह के साथ सम्पन्न हुआ, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, अपर पुलिस अधीक्षक नगर, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात, क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी पुलिस कार्यालय, क्षेत्राधिकारी लालगंज के साथ पुलिस अधिकारियों के आलावा प्रशिक्षुओं के अभिभावकगण एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों की भी गरिमामयी उपस्थिति रही।

प्रेस नोट, थाना– जीयनपुर, जनपद आजमगढ़
दिनांक– 26.04.2026

- **अवैध तमंचा व कारतूस के साथ शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सीज, आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत**

आजमगढ़। जनपद में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देश पर, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर श्री राजकुमार सिंह के नेतृत्व में थाना जीयनपुर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान एक शातिर अभियुक्त को अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 26.04.2026 को व0उ0नि0 परमात्मा मिश्रा मय हमराह चुनुगपार तिराहे पर चेकिंग में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक अपराधी किस्म का व्यक्ति हरसिंहपुर गांव की तरफ से मोटरसाइकिल (ग्लैमर) से चांदपार की ओर आने वाला है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा हरसिंहपुर मोड़ तिराहे के पास घेराबंदी कर संदिग्ध वाहन का इंतजार किया गया। कुछ देर बाद हरसिंहपुर की तरफ से आती मोटरसाइकिल को दिनांक 25.04.2026 को रात्रि 23:35 बजे नियमानुसार घेरकर पकड़ लिया गया।

पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम **मोहम्मद सैफ पुत्र अब्दुल रज्जाक निवासी समुन्द्रपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 23 वर्ष** बताया। जामा तलाशी के दौरान उसके पहने हुए पैंट के कमर के दाहिने फेटे से **एक अदद तमंचा .315 बोर** तथा बायीं जेब से **एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर** बरामद हुआ। इसके अतिरिक्त अभियुक्त के कब्जे से **मोटरसाइकिल संख्या UP50BH1556** भी बरामद कर मौके पर सीज की गई।

बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 189/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत किया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से भी कई आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, जिससे उसका आपराधिक इतिहास स्पष्ट होता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

मोहम्मद सैफ पुत्र अब्दुल रज्जाक निवासी समुन्द्रपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी का विवरण:

एक अदद तमंचा .315 बोर

एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

एक अदद मोटरसाइकिल संख्या UP50BH1556

पंजीकृत अभियोग:

मु0अ0सं0 189/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:

1. मु0अ0सं0 189/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर
2. मु0अ0सं0 0517/2024 धारा 125(b), 281, 324(4) BNS थाना जीयनपुर
3. मु0अ0सं0 0081/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना जीयनपुर
4. मु0अ0सं0 0139/2026 धारा 115(2), 351(3), 352 भादवि थाना जीयनपुर
5. मु0अ0सं0 0012/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम:

1. व0उ0नि0 परमात्मा मिश्रा, थाना जीयनपुर
2. उ0नि0 मनोज कुमार सिंह, थाना जीयनपुर
3. का0 शैलेश कुमार यादव, थाना जीयनपुर
4. का0 संजय कुमार वर्मा, थाना जीयनपुर

प्रेस विज्ञप्ति, थाना– कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़
दिनांक– 26.04.2026

• बलात्कार व पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार
• कम्हेनपुर अंडरपास पुलिया के नीचे से दबोचा गया आरोपी, अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित

आजमगढ़। जनपद में महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कन्धरापुर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए बलात्कार व पॉक्सो एक्ट के एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

प्रकरण के अनुसार दिनांक 07.02.2026 को वादिनी द्वारा थाना कन्धरापुर पर लिखित सूचना दी गई थी कि अभियुक्त अर्जून निषाद पुत्र सुग्रीव निषाद निवासी कम्हेनपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री को शादी का झांसा देकर घर से बाहर बुलाकर शारीरिक संबंध बनाया गया तथा जान से मारने की धमकी देते हुए शादी से इनकार कर दिया गया। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 24/2026 धारा 69/351(3) BNS व ¾ पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 अखिलेश यादव द्वारा की जा रही है।

दिनांक 26.04.2026 को प्रभारी निरीक्षक अनुराग कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त अर्जून निषाद को समय करीब 11:05 बजे कम्हेनपुर अंडरपास पुलिया के नीचे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:
अर्जून निषाद पुत्र सुग्रीव निषाद निवासी कम्हेनपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष
पंजीकृत अभियोग:
मु0अ0सं0 24/2026 धारा 69/351(3) BNS व ¾ पॉक्सो एक्ट थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़
गिरफ्तारी करने वाली टीम:

1. प्र0नि0 अनुराग कुमार, थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़
2. का0 विपिन कुमार वर्मा, थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़
3. का0 विनय कुमार, थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट, थाना– पवई, जनपद आजमगढ़
दिनांक– 26.04.2026

• अवैध पिस्टल .32 बोर व जिन्दा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार
• संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की कार्यवाही, आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत

आजमगढ़। जनपद में अपराध एवं अवैध असलहों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पवई पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को अवैध पिस्टल व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।
दिनांक 26.04.2026 को वादी उ0नि0 कृष्ण कुमार मिश्रा मय हमराहियान क्षेत्र में देखभाल व संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम शहराजा से निजामपुर रोड के पास से अभियुक्त अर्पित यादव पुत्र सुरेश यादव निवासी खुटहन थाना खुटहन जनपद जौनपुर को समय करीब 12:30 बजे गिरफ्तार किया गया।
जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक अदद पिस्टल .32 बोर तथा एक अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना पवई पर मु0अ0सं0 100/2026 धारा 7/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।
पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए अपनी गलती के लिए माफी मांगते हुए बताया गया कि वह अपना पक्ष माननीय न्यायालय में अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:
अर्पित यादव पुत्र सुरेश यादव निवासी खुटहन थाना खुटहन जनपद जौनपुर
बरामदगी का विवरण:
एक अदद पिस्टल .32 बोर
एक अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर
पंजीकृत अभियोग:
मु0अ0सं0 100/2026 धारा 7/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़
गिरफ्तारी करने वाली टीम:

1. उ0नि0 कृष्ण कुमार मिश्रा
2. उ0नि0 ओमप्रकाश मिश्रा
3. का0 सुरेन्द्र यादव
4. का0 आलोक कुमार सिंह
5. का0 संजीव यादव थाना पवई जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट, थाना– दीदारगंज, जनपद आजमगढ़
दिनांक– 26.04.2026

• शातिर चोर चोरी गए माल (कीमत लगभग 1.5 लाख रूपयें) के साथ गिरफ्तार
• दो मुकदमों का खुलासा, चोरी के जेवरात व नकदी बरामद

आजमगढ़। थाना दीदारगंज पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए एक शातिर चोर को चोरी गए माल के साथ गिरफ्तार किया गया है।

प्रकरण के अनुसार वादीगण द्वारा थाना स्थानीय पर अलग-अलग तिथियों में अपने घरों से सोने-चांदी के आभूषण, कपड़े एवं नकदी चोरी हो जाने के संबंध में लिखित प्रार्थना पत्र दिए गए थे, जिसके आधार पर मु0अ0सं0 08/2026 व मु0अ0सं0 13/2026 धारा 331(4)/305/317(2) बी.एन.एस. बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किए गए थे। विवेचना के क्रम में अभियुक्त की तलाश/पतारसी की जा रही थी।

दिनांक 26.04.2026 को उ0नि0 मय हमराह क्षेत्र में मौजूद थे, तभी मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त चोरी की घटनाओं से संबंधित अभियुक्त सिसवारा मोड़ के पास मौजूद है। सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर अभियुक्त को पकड़ लिया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम **मनोज राजभर पुत्र लेखई राजभर निवासी कुम्भ मठिया थाना बरदह जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष** बताया।

जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से चोरी गए सामान में से **दो अदद कान का झाला (पीली धातु), एक अदद मंगलसूत्र एवं नकद धनराशि (₹10,600/-)** बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त को मु0अ0सं0 08/2026 व 13/2026 धारा 331(4)/305/317(2) बी.एन.एस. में समय करीब 11:10 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बी.एन.एस. की बढ़ोत्तरी की गई है।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:
मनोज राजभर पुत्र लेखई राजभर निवासी कुम्भ मठिया थाना बरदह जनपद आजमगढ़
बरामदगी का विवरण:
दो अदद कान का झाला (पीली धातु), एक अदद मंगलसूत्र, 04 साड़ी बरामद **(कीमत लगभग 1.5 लाख रूपयें)**
नकद ₹10,600/-
पंजीकृत अभियोग:
1. मु0अ0सं0 08/2026 धारा 331(4)/305/317(2) बी.एन.एस. थाना दीदारगंज
2. मु0अ0सं0 13/2026 धारा 331(4)/305/317(2) बी.एन.एस. थाना दीदारगंज

आपराधिक इतिहास:
1. मु0अ0सं0 08/2026 धारा 331(4)/305/317(2) बी.एन.एस. थाना दीदारगंज, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 13/2026 धारा 331(4)/305/317(2) बी.एन.एस. थाना दीदारगंज, आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 203/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 103/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना गौराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम:
1. प्र0नि0 जयप्रकाश, थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
2. चौकी प्रभारी मार्टीनगंज उ0नि0 पंकज कुमार सिंह, थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
3. का0 दीपक कुमार यादव, थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
4. का0 अमन चौधरी, थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़